संवाद

साझा की पश्चिम मध्य रेल की उपलब्धियां और भावी कार्य योजनायें

पश्चिम मध्य रेल का 'मध्य' है जबलपुर : महाप्रबंधक सिंह

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेल का 'मध्य' है हमारा जबलपुर डिवीज़न आज भी मुंबई जाने के लिए पमरे जोन से होकर ही रास्ता निकलता है। मुंबई-प्रयागराज-हावड़ा लाइन का महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट जबलपुर हमेशा से ही रेलवे के लिए ख़ास रहा है। ये बाते सोमवार को पमरे जोन के नवागत महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने मीडिया से सौजन्य भेंट करते हुए बोलीं। उन्होंने आगे बताया कि नई रेललाइन परियोजनाओं, अधो-संरचनात्मक निर्माण कार्यों, अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को गति प्रदान करने, यात्री सुविधाओं में विस्तार एवं संरक्षा कार्यप्रणाली और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यालय एवं मंडल स्तर पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर बेहतर रेल संचालन और उत्कृष्ट सेवाएं सुनिश्चित की जा रहीं हैं। महाप्रबंधक श्री सिंह ने बताया कि पश्चिम मध्य रेल में माल लदान, यात्री संख्या एवं राजस्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है वित्तीय वर्ष 2025-26 पश्चिम मध्य रेल के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर कमीशनिंग, नई लाइन बिछाने, दोहरीकरण तिहरीकरण, रेल फ्लाईओवर निर्माण, स्क्रैप बिक्री, यात्री सुविधाओं के विस्तार, सुरक्षित एवं सुचारु रेल परिचालन तथा तकनीकी नवाचारों के साथ उपलब्धियों से भरा वर्ष साबित हुआ।

पमरे ने बनाया रिकॉर्ड

महाप्रबंधक ने बताया कि स्क्रैप निस्तारण के माध्यम से संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हुए अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया गया। पश्चिम मध्य रेल ने 58.07 मिलियन टन माल लदान कर अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.06 प्रतिशत अधिक है। कुल 1160 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जो पिछले वर्ष से 6.63 प्रतिशत अधिक है। यात्री राजस्व 2572.55 करोड़ तथा माल राजस्व 6079.02 करोड़ रहा। कुल राजस्व 9126.35 करोड़ दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.99 प्रतिशत अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के अंतर्गत 117 किमी रेल परियोजनाएँ पूर्ण की गईं, जिससे क्षमता और परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई। जबलपुर स्टेशन के पुनर्विकास हेतु टेंडर प्रक्रिया को तेजी से किया जा रहा है। स्क्रैप निस्तारण से 361.7 करोड़ की आय अर्जित की गई। संरक्षा के क्षेत्र में कवच प्रणाली को कोटा-मथुरा एवं कोटा-नागदा सेक्शन पर लागू किया गया तथा 87 लोकोमोटिव में इसकी स्थापना की गई।

अंतिम चरण में पहुंचा ललितपुर-इटारसी तीसरी रेल लाइन का सर्वे

अधोसंरचनात्मक कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए महाप्रबंधक ने बताया कि पश्चिम मध्य रेल में नई रेललाइन परियोजनाओं में ललितपुर-खजुराहों-सतना-पन्ना-रीवा-सीधी-सिंगरौली (541 किमी) एवं रामगंजमण्डी-भोपाल (276.5 किमी) के निर्माण कार्य प्रगति पर है और निर्धारित लक्ष्य में पूरा करने के उद्देश्य से तेजी से कार्य किया जा रहा है। बीना-कटनी तीसरी लाइन (259 किमी) का संपूर्ण कार्य जनवरी 2026 में पूर्ण कर लिया गया है, इसी प्रकार रीवा-सतना दोहरीकरण (50 किमी) का केवल एक मात्र शेष रेलखंड हिनौता रामवन-तुर्की रोड (09 किमी) इस वर्ष जून 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगाद्ध इसी प्रकार इटारसी-मानिकपुर रेलखंड में तीसरी लाइन का स्वीकृत कार्य का सर्वे अंतिम चरण में है, इसके पूर्ण होते ही कार्य तीव्र गति से प्रारंभ कर दिया जायेगाद्ध अन्य स्वीकृत कार्यों में बीना-भोपाल-इटारसी चौथी लाइन का भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है द्ध यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन, स्वच्छता अभियान, बेहतर खानपान व्यवस्था तथा स्टेशन परिसरों का अपग्रेडेशन एवं सौंदर्यीकरण जैसे कार्य निरंतर किए जा रहे हैं।

हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस को लगाई फटकार

मप्र कांग्रेस आईटी सेल के तीनों कार्यकर्ताओं को 29 अप्रैल को हर हाल में पेश करने के निर्देश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने पूर्व निर्देश के बावजूद मध्य प्रदेश कांग्रेस आइटी सेल के तीनों कार्यकर्ताओं को पेश न किए जाने के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ राजस्थान पुलिस को जमकर फटकार लगाई। साथ ही सख्त निर्देश दिया कि 29 अप्रैल को हर हाल में तीनों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। न्यायालय ने पुलिस की ओर से दिए गए मिस कम्युनिकेशन के तर्क को दरकिनार कर दिया। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस को आदेश का पालन करने दो दिन की मोहलत दी। साथ ही गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज व सीसीटीवी फुटेज भी प्रस्तुत करने निर्देश दिया है। मामला राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से वायरल फर्जी पत्र से संबंधित है। इसी सिलसिले में मप्र कांग्रेस आइटी सेल के तीन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। राजधानी भोपाल निवासी खिजर खान सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता एचएस छाबड़ा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 20 अप्रैल 2026 की सुबह लगभग तीन बजे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भोपाल में पुलिस द्वारा कांग्रेस आईटी सेल के तीन कार्यकर्ताओं निखिल, बिलाल व इनाम को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और उन्हें दो दिनों तक किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है। राज्य शासन की ओर से दलील दी गई कि राजस्थान पुलिस की मौखिक सूचना पर तीनों को पुलिस थाने बुलाकर पूछताछ की गई और फिर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। अगले दिन दोपहर को फिर साइबर सेल बुलाया और राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया। न्यायालय को बताया गया कि हिरासत या उनकी गिरफ्तारी का कोई रिकार्ड या उन्हें राजस्थान पुलिस को सौंपने से संबंधित कोई दस्तावेज उन्हें नहीं भेजा गया है।

लोको पायलट की चयन प्रकिया कटघरे में

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में एक याचिका दायर कर पश्चिम मध्य रेल में असिस्टेंट लोको पायलट की चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। कैट के न्यायिक सदस्य जस्टिस एके श्रीवास्तव एवं प्रशासनिक सदस्य मल्लिका आर्य की युगलपीठ ने महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे, अध्यक्ष रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, पश्चिम मध्य रेल जबलपुर एवं प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर पश्चिम रेलवे मुम्बई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कैट ने अंतरिम आदेश के तहत याचिका के अंतिम निराकरण तक एक पद रिक्त रखने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के रहने वाले बृजमोहन राणा की ओर से अधिवक्ता अंजना श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड के विज्ञापन पर याचिकाकर्ता ने आवेदन दिया था और वह सभी परीक्षाओं में सफल रहा। चयन सूची में उसका रोल नंबर नहीं था। कट ऑफ मार्क्स 69.88 दर्शाया गया जबकि याचिकार्ता के नंबर 70.89 थे। इसी आधार पर चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी को चुनौती दी गई है।

कटनी-मंडला में पुलिस ने की छापेमारी

सिविल इंजीनियर हत्याकांड में फरार तीन आरोपियों की तलाश

जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत बडा पत्थर नरसिंहनगर में 15 एकड़ कृषि भूमि के विवाद पर 23 अप्रैल की सुबह गोली मारकर की गई सिविल इंजीनियर की हत्या मामले में फरार तीन आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। दो टीमें जिले से बाहर भी गई है। सूत्रों के मुताबिक एक टीम कटनी तो दूसरी मंडला में छापेमारी करने पहुंची है हालांकि पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुख्य आरोपित समेत अन्य को पकड़ लिया जायेगा। जिनके पकड़े जाने के बाद हत्या से जुड़े नए राज भी खुल सकते है।

विदित हो कि क्लीरेंस एटकिंस 39 वर्ष निवासी बड़कू का बाड़ा रांझी का सिविल इंजीनियर था। 23 अप्रैल की सुबह वे अपने 5 वर्षीय बेटे को स्कूल छोडकर वापस अपनी मोटर सायकिल से आ रहा था। सुबह 8-30 बजे जैसे ही बडा पत्थर नरसिंह नगर में पहुंचा तभी एक मोटर सायकिल पर 2 अज्ञात लोग आये एवं क्लीरेंस एटकिंस की ओर बंदूक तानी और फायर कर दिए थे। बदमाशों ने बेहद करीब से निशाना साधते हुए फायरिंग की थी, जिसके कारण गोली सीधे सिर में जा धंसी थी। मेडिकल में इलाज के दौरान एटकिंस ने दम तोड़ दिया था। मामले में पुलिस ने तेजबल उर्फ अरुण रैकवार 20 वर्ष निवासी माढोताल एवं मोहित ढाकुर 20 वर्ष निवासी वर्धा हाउस पुल न. 02 थाना कैंट को दबोचा था। पूछताछ में यह बात सामने आई थी कि रायपुर के पास लगभग 15 एकड़ कृषि भूमि के भूमि स्वामी अजय खराड़कर से क्लेरेन्स एडकिन्स व अन्य पार्टनर का एग्रीमेंट था किन्तु भूमि स्वामी अजय खराड़कर द्वारा बाबा नेलसन और अन्य पर्टनर की सहमति से मीनाक्षी विश्वकर्मा निवासी छिंदवाड़ा के नाम से उक्त भूमि की रजिस्ट्री कर दी गयी जिस पर क्लेरेन्स एडकिन्स ने रजिस्ट्री शून्य करने और अन्य जगह बिक्री के लिए स्टे रायपुर न्यायालय में सिविल सूट लगाया था सौदेबाजी में बाबा नेलसन मध्यस्त था जो चाह रहा था कि क्लेरेन्स एडकिन्स सिविल सूट वापस ले ले, इसी बात पर से बाबा नेलसन और क्लेरेन्स एडकिन्स के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते बाबा नेलसन के कहने पर बाबा नेलसन के बेटे प्रिंस ने अपने दोस्त मोहित ढाकुर, अर्पित कुशवाहा, अरुण रैकवार के साथ मिलकर योजना बनाई थी। योजना के अनुसार 23 अप्रैल 26 को दो मोटर साइकिल से सुबह 7.30 बजे चारों बड़ा पत्थर पहुँचे थे मोहित ढाकुर और अरुण रैकवार रैकी करते हुये क्लेरेन्स एडकिन्स के घर से स्कूल निकलने का सिग्नल दिए और प्रिंस और अर्पित ने दूसरी मोटर साइकिल में पीछा करते हुए शिवशक्ति चौराहे के पास देशी पिस्टल से क्लेरेन्स एडकिन्स को गोली मारकर फरार हो गए थे।

ये है फरार

पुलिस अब प्रिंस नेल्सन पिता विकास नेल्सन 22 वर्ष, अर्पित कुशवाहा पिता सुनील कुशवाहा, विकास उर्फ बाबा उर्फ रिंकू नेलसन तीनों निवासी ओमती की तलाश कर रही है साथ ही संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मंडला एवं कटनी में भी टीमों ने दबिश दी है और वहां संभावित ठिकानों पर आरोपियों की तलाश पतासाजी की जा रही है।

मां नर्मदा के तटों, जलाशयों की स्वच्छता को लेकर बनाई कार्ययोजना

संस्कारधानी को रिवर टाउन एसेसमेंट में अव्वल बनाने ननि की तैयारी

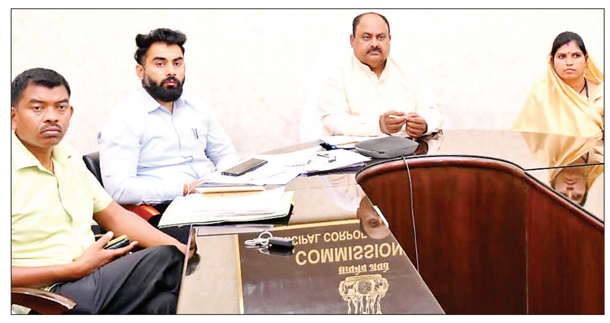

जबलपुर। संस्कारधानी के लिए नदी संरक्षण केवल एक रैंकिंग का विषय नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी है। शहर की जीवनदायिनी मां नर्मदा के तटों और शहर के अन्य जलाशयों की स्वच्छता को लेकर निगम की कार्ययोजना है। यह बातें निगमाध्यक्ष रिकुंज विज ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत शहर को स्वच्छता के शीर्ष पर स्थापित करने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त द्वारा वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में कहीं।

बैठक में केंद्र रिवर टाउन एसेसमेंट जिसमें प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को जल संरचनाओं की स्वच्छता और संरक्षण के संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक के दौरान आयुक्त ने स्पष्ट किया कि आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में नदियों और जल निकायों के किनारे बसे शहरों के लिए रिवर टाउन एसेसमेंट एक निर्णायक मापदंड होगा। इसके तहत नदियों में मिलने वाले नालों की टैपिंग, घाटों की नियमित सफाई और सौंदर्यीकरण, जल प्रदूषण को रोकने हेतु प्रभावी प्रबंधन, जन-भागीदारी के माध्यम से जल संरचनाओं का संरक्षण महत्वपूर्ण घटक हैं। बैठक के पश्चात अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे रिवर टाउन एसेसमेंट के मानकों के अनुरूप जमीनी स्तर पर कार्य में तेजी लाएं। विशेष रूप से नर्मदा तटों और शहर के तालाबों के समीप कचरा प्रबंधन और जीरो वेस्ट डिस्चार्ज सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। जबलपुर नगर निगम की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में निगमाध्यक्ष रिकुंज विज एवं गौरीघाट वार्ड की पार्षद शारदा कुशवाहा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। बैठक के दौरान कार्यपालन यंत्री जी.एस. मरावी, उपायुक्त संभव अयाची, सहायक यंत्री अभिनव मिश्रा, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन यादव, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक संतोष माहोर एवं वैभव तिवारी, के.पी.एम.जी. कंसल्टेंट एवं आदित्य कंसल्टेंसी के सदस्य उपस्थित रहे।

एक नजर में

पिता-पुत्रों पर चाकू से हमला

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत दाउ मैरिज गार्डन के पास शराब पीने के लिए रूपए की मांग पूरी न होने पर बदमाशों ने पिता-पुत्रों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में तीनों घायल हो गए जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक अभिषेक रैकवार 30 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती माढोताल ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह मूर्ति बनाने का काम करता है। पिता एवं भाई के साथ रात में पनागर से हथना जा रहा था रास्ते में दाउ मैरिज गार्डन के पास प्रिंस रजक, नीलेश कोल, साहिल कोल, रोहित कोल मिले जो शराब पीने के लिये 1 हजार रूपये मांगने लगे उसने रूपए देने से मना किया तो चारों हाथ मुक्को से मारपीट करने लगे। चाकू से हमला कर उसके एवं उसके भाई अभय एवं पिता लक्ष्मीनारायण के पैरो मे चोटे पहुंचा दी। रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी देते हुये भाग गये।

दुकान संचालक पर हमला-ओमती थाना अंतर्गत भरतीपुर में बदमाशों ने एक दुकान संचालक पर डंडे से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक विजय सोनकर 34 वर्ष निवासी भरतीपुर का स्टेशन के पास खाने की दुकान लगाता है। बीती रात 12-10 बजे घर के पास उसे आकाश चौधरी, शीबू सोनकर ने रोका और शराब पीने दो हजार रूपए मांगे। मना करने पर बेस बॉल के डण्डे से हमला कर उसे चोट पहुंचा दी।

रोड पार कर रहे बुजुर्ग को बाइक ने मारी टक्कर

जबलपुर। मझोली थाना क्षेत्र में रोड पार कर रहे बुजुर्ग को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल को तत्काल उपचार के लिए मझोली शासकीय अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए जबलपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पवन चौधरी 24 वर्ष निवासी काकरदेही मझोली ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि सोमवार सुबह पूरे परिवार के साथ पन्ना जाने के लिए बस के इंतजार में रोड किनारे खडे थे लगभग 9 बजे उसके बडे पिता हरिलाल चौधरी कुछ सामान लेने के लिये रोड पार करने लगे तभी मोटर सायकिल एमपी 21 जे जे 7014 का चालक तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुये आया एवं बडे पिता को टक्कर मार दी जिससे बडे पिता को सिर हाथ पैरों में चोटें आ गई। पुलिस ने रिपोर्ट पर बाइक चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

बिना अनुमति नहीं होंगे किसी भी प्रकार के आयोजन

नवभारत, जबलपुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने आने वाले त्यौहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किये बिना सभी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं किये जा सकेंगे। अनुमति प्राप्त किये बगैर होने वाले आयोजनों को अवैध घोषित किया जायेगा तथा आयोजकों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में प्रशासनिक अनुमति के बिना रैली, धरना, प्रदर्शन के साथ-साथ भण्डारों के आयोजन पर भी रोक लगाई गई है। इसी प्रकार धार्मिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान मार्गों पर टेंट लगाना या भंडारे का आयोजन भी नहीं किया जा सकेगा, जिससे यातायात प्रभावित हो। आदेश में दो पहिया वाहन रैली को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही डीजे के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में घरेलू सहायकों एवं व्यावसायिक सहायकों को रखने के पहले इसकी सूचना संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में देना अनिवार्य किया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण में सफलता सामूहिक प्रयासों का परिणाम : निगमायुक्त

समीक्षा बैठक में बोले- कार्यों में तेजी लाएं, टीम वर्क के साथ काम करें

जबलपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण में सफलता केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। सभी आपसी समन्वय के साथ एक टीम के रूप में कार्य करें ताकि धरातल पर परिणाम नजर आएं। यह बातें निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत शहर में संचालित विभिन्न गतिविधियों और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहीं। बैठक में स्वच्छता के मानकों को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ विभागीय समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। समीक्षा बैठक के दौरान निगमायुक्त अहिरवार ने स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, उद्यान, वर्कशॉप, विद्युत विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं के अधिकारियों से बिंदुवार चर्चा की और प्रगति की जानकारी ली। निगमायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को कचरा संग्रहण और नाली सफाई में निरंतरता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्यान विभाग को पार्कों के रखरखाव और डिवाइडरों पर वृक्षारोपण की स्थिति सुधारने को कहा। विद्युत विभाग को स्ट्रीट लाइट्स की सुचारू व्यवस्था और लोककर्म विभाग को सड़कों के संधारण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अधिकारियों के साथ-साथ सफाई एजेंसियों के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे।

प्रतिष्ठा धूमिल करने की शिकायत, बार संघ से कार्रवाई की मांग

अधिवक्ता दंपत्ति ने वरिष्ठ वकील पर लगाया मानहानि का आरोप

नवभारत, जबलपुर। एक अधिवक्ता दंपत्ति ने शहर के एक वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व राजनीतिक पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता अधिवक्ता नमृता सांई पिल्ले ने जिला अधिवक्ता संघ के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में आरोप लगाया है कि संबंधित वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से झूठे एवं भ्रामक बयान देकर उनके परिवार की सामाजिक छवि, मान-सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई है। शिकायत के अनुसार, मार्च 2026 से अप्रैल 2026 के बीच यह घटनाक्रम लगातार चलता रहा, जिससे परिवार को मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्तर पर अपमान का सामना करना पड़ा। प्रार्थिया का कहना है कि व्यक्तिगत द्वेष और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर यह अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न स्तरों पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया गया। श्रीमती पिल्ले ने बार संघ से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित सदस्य के खिलाफ वैधानिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके और उनकी प्रतिष्ठा बहाल हो। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि उचित कार्रवाई न होने की स्थिति में वे प्रशासनिक और कानूनी विकल्पों का सहारा लेने के लिए बाध्य होंगी।